

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लक्ष्मणसिंह बनाम हेमा वगैरह

किस्म मुकदमा:-बाजदायरी प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 24/2026 (ब्यावर )

बाजदायरी प्राधिकारी  
13/01/26

श्री अमीन काठात

13.01.2026

लक्ष्मणसिंह बनाम हेमा वगैरह (2026/24)

यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र अभिभाषक श्री अमीन काठात ने न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.01.2026 को अपील अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किये जाने से पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन दिनांक 06.01.2026 को अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए अपील को अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। हमने ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुक्किल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो

अजमेर अपील प्राधिकारी  
अजमेर